अंतिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

रमजान बनाम जोधराज आदि

दावा बाबत, उद्घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

मुकदमा नं0 189 / दावा सन् 2015 निर्णय दिनांक. 13.08.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री रामेश्वर प्रसाद बाज्या** मिनजानिब मुद्दई व **श्री बंशीधर बाज्या, रेखराज पारीक** मिनजानिब मुद्दायल पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि तहसीलदार दांतारामगढ के पत्रांक भू0 अ0 / 19 / 2130 दिनांक 18.07.2019 के द्वारा प्राप्त बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस प्राप्त होने पर अंतिम डिकी निम्न प्रकार से जारी की जाती है–

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान रूपये में
1	अशोक कुमार संदीप कुमार पुत्र गुलाबचन्द जाति मीणा राहिन SBBJ शाखा दांतारामगढ मूर्तहिन सा0देह	560 / 1	0.43	चाही–4	6.45
		किता– 1	0.43		6.45
2	रूकमा पत्नि सुखदेवाराम जाति जाट सा0देह	552 522	0.36	चाही–4	5.40
		552 / 1	0.73	चाही–4	10.95
		किता–2	1.09		16.35
3.	जोधराज पुत्र भूराराम जाति कुम्हार (प्रजापत) सा0देह राहिन SBBJ शाखा दांतारामगढ	552 / 3	1.56	चाही–4	23.40
		552 / 1596	0.01	चाही–4	-----
		किता–2	1.57		23.40
4.	रमजान पुत्र गन्नी गुलाबी पत्नि गन्नी जाति तेली सा0देह	560 / 2	1.54	चाही–4	23.10
		किता-	1.54		23.10
5.	रमजान पुत्र गन्नी गुलाबी पत्नि गन्नी जाति तेली अशोककुमार संदीपकुमार पुत्र गुलाबचन्द जाति मीणा सा0देह संदीपकुमार अशोककुमर राहिन SBBJ शाखा दांतारामगढ	552 / 2 गैरमुमकिन रास्ता	0.05	चाही–4	0.75

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

तहसीलदार दांतारामगढ की ओर सें बंटवारा प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 522 सें होकर दर्शाई गई रेखा का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करते हुए अमल दरामद हो।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.08.2019 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी ...		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बावत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	0	00
मुतफरिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ (सीकर)

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर)

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 189 / 2015 / दावा

1. रमजान पुत्र गन्नी जाति मुसलमान निवासी डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादिनी

ब ना म

1. जोधराज पुत्र श्री भूराराज जाति कुमावत निवासी डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. रूकमादेवी बेवा सुखदेवाराम जाति जाट निवासी डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. अनिल कुमार
4. संदीप कुमार } पुत्रगण गुलाबचन्द जाति मीणा निवासी डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
5. उपपंजीयक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
6. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थितिः—

1. श्री रामेश्वर प्रसाद बाज्या वकील वादी की ओर सें।
2. श्री रेखराज पारीक वकील प्रतिवादी सं0 1 की ओर सें तथा श्री बंशीधर बाज्या वकील प्रतिवादी सं0 2 ता 4 की ओर सें।

निर्णय दिनांक— 13.08.2019

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर)
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 189/15/दावा /

1. रमजान पुत्र श्री गन्नी जाति मुसलमान निवासी डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज0।

– वादी

ब ना म

1. जोधराज पुत्र श्री भूराराम जाति कुमावत
2. रूकमा देवी बेवा सुखदेवाराम जाति जाट
3. अशोक कुमार
4. संदीप कुमार } पुत्रगण गुलाबचन्द जाति मीणा

समस्त निवासीगण डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

5. उपपंजीयक, तहसील दांतारामगढ जिचला सीकर।
6. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा बंटवारा,स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थिति:

1. श्री रामेश्वर प्रसाद बाज्या वकील वादी की ओर सें।
2. प्रतिवादी सं0 1 की ओर सें वकील श्री रेखराज पारीक, प्रतिवादी सं0 2 ता 4 की ओर सें वकील श्री बंशीधर बाज्या तथा शेष प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दिनांक–04.07.2019

1 वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमियां ख0 नं0 522रकबा 0.36 है0, ख0 नं0 552 रकबा 2.34 है0, ख0नं0 552/1595 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 560 रकबा 1.97 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 4.68 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम डांसरोली पटवार हल्का डांसरोली तहसील दांतारामगढ में अवस्थित है जिनमें वादी का 1/3 हक हिस्सा है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगणों का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज है। उक्त भूमियों कर मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा अपने हिस्से पर काबिज है। वादी ने प्रतिवादीगणों को कई दफा विधिक बंटवारा करने हेतु अग्रह किया परन्तु पहले तो प्रतिवादीगण वादी को आश्वासन देते रहे कि शीघ्र ही विधित बंटवारा करवा लेंगे परन्तु बंटवारा करवाने के लिए आनाकानी करने के कारण वादपत्र पेश कर निवेदन है कि विवादित भूमियों में सें वादी के 1/3 हक हिस्से का एकांकी खातेदार उद्घोषत किया जाकर प्रत्येक खसरा नम्बर में वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अमल दरामद किया जावे। यदि प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजियात के [illegible] एवं मनचाहे भूभाग पर कब्जा करने, नवनिर्माण करने एवं बिना विधिक बंटवारा किये ही किसी अन्य के रहन बेचान एवं हस्तांतरित करने में कामयाब हो गये तो वादी के संपतिक अधिकारों का हनन होगा तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन मिलेगा तथा वादी को इस कदर अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी तलाफी बाद में कानूनी तौर पर किया जाना कतई संभव नहीं होगी। वादकरण दिनांक 15.11.2015 को प्रतिवादीगणो द्वारा उक्त भूमियों का बंटवारा करवाये ही अन्यत्र हस्तांतरित करने की धमकी दिये जाने पर उत्पन्न हुआ जो क्षण प्रतिक्षण जारी है। अतः विवादित भूमियों का मीट्स

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

एण्ड बाउण्ड्स द्वारा बंटवारा किया जाकर वादी को प्रत्येक खसरा नम्बर में सें 1/3 हिस्से पर एकांकी खातेदार उद्घोषित किया जाकर अलग लगान निर्धारित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे में अमल दरामद किया जावे।

2 वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 की ओर सें वकील श्री रेखराज पारीक तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 4 की ओर सें वकील श्री बंशीधर बाज्या उपस्थित आये तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 1 की ओर सें जवाबदावा मय काउण्टर दावा पेश किया गया। काउण्टर दावा का जवाब वकील वादी ने पेश किया।

3 हमने वादी योग्य अभिभाषकगणों की बहस सुनी व बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। काउण्टर वाद पर दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 550 की सीमा वर्तमान में सही है मात्र कुआ गलत दर्शाया गया है उक्त कुए को बिना किसी प्रकार से भूमियों की सीमा में किसी प्रकार का फेरबदल किये बिना अगर कुआ वादी की भूमि में दर्शाया जाता है तो कोई एतराज नहीं है। वादपत्र में उपराक्त वर्णित भूमियों पर वादी संयुक्त खातेदार व काबिज काश्तकार है जो विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा चाहने का अधिकारी है। अतः काउण्टर दावा स्वीकार करते हुए वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी सं0 1 की भूमि खसरा नम्बर 550 की सड़क की उत्तरी दिशा अवस्थित खसरा नम्बर 522 में दर्ज कुआ जो खसरा नम्बर 552/1596 को वादी/प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी से हटाया गया है, को पुनः वादी/ प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी में दर्ज करते हुए विवादित कृषि आराजियात ग्राम डांसरोली तह0 दांतारामगढ जिला सीकर के मौके व रिकार्ड अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किये जाने हेतु भू.अभिलेख निरीक्षक मण्ढा सुरेरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री निम्न शर्तो के अनुसार जारी की जाती है:

1. यदि पक्षकारान ने बाह्मी बंटवारा कर अपने अपने हि0 पर काबिज चले आ रहे है तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें।
2. पक्षकरान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।
3. यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नही हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रैश में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुऐ बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव तहसीलदार दांतारामगढ के माध्यम से भिजवावें तथा पक्षकारान को नोटिस देकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में नियत तिथि दिंनाक 18.07.2019 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर दो प्रति प्रस्ताव के साथ भिजवावें ।

उपरोक्त प्राथमिक डिक्री जारी हो वादी मौका कमिश्नर फीस 500/–रू0 अदा करेगें। इस पत्रावली में तहरीर जारी होकर बंइन्तजार बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा के दिंनाक 18.07.2019 को पेश हो।

यह आदेश आज दिंनाक 04.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर)
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 189 / 15 / दावा /

1. रमजान पुत्र श्री गन्नी जाति मुसलमान निवासी डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज0 ।

– वादी

ब ना म

1. जोधराज पुत्र श्री भूराराम जाति कुमावत
2. रूकमा देवी बेवा सुखदेवाराम जाति जाट
3. अशोक कुमार } पुत्रगण गुलाबचन्द जाति मीणा
4. संदीप कुमार }

समस्त निवासीगण डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

5. उपपंजीयक, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
6. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा,स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

दावा बाबत बंटवारा,स्थाई निषेधाज्ञा व रिकॉर्ड संशोधन

उपस्थितिः

1. श्री रामेश्वर प्रसाद बाज्या वकील वादी की ओर सें।
2. प्रतिवादी सं0 1 की ओर सें वकील श्री रेखराज पारीक, प्रतिवादी सं0 2 ता 4 की ओर सें वकील श्री बंशीधर बाज्या तथा शेष प्रतिवादीगणों के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दिनांक–04.07.2019

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी , मुकाम दांतारामगढ

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

रमजान बनाम जोधराज आदि

दावा बाबत, बंटवारा स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 189 / दावा सन् 2015 निर्णय दिनांक 04.07.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **रामेश्वर प्रसाद बाज्या** मिनजानिब मुददई व श्री **बंशीधर बाज्या, रेखराज पारीक** मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि विवादित कृषि आराजियात भूमि ख0 नं0 522 रकबा 0.36 है0, ख0 नं0 552 रकबा 2.34 है0, ख0नं0 552 / 1595 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 560 रकबा 1.97 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 4.68 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम डांसरोली पटवार हल्का डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा प्रतिवादी सं0 1 की भूमि खसरा नम्बर 550 की सड़क की उत्तरी दिशा अवस्थित खसरा नम्बर 522 में दर्ज कुआ जो खसरा नम्बर 552 / 1596 को वादी / प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी से हटाया गया है, को पुनः वादी / प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी में दर्ज करते हुए किये जाने हेतु भू.अ.नि. मण्ढा सुरेरा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर प्राथमिक डिक्री निम्नांकित शर्तो पर जारी की जाती है :–

1. यदि पक्षकारान ने बाहमी बंटवारा कर अपने अपने हि0 पर काबिज चले आ रहे है तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें।
2. पक्षकरान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।
3. यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नही हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रैश में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुऐ बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव तहसीलदार दांतारामगढ के माध्यम से भिजवावें तथा पक्षकारान को नोटिस देकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में नियत तिथि दिंनाक 18.07.2019 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर दो प्रति प्रस्ताव के साथ भिजवावें ।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ....को अदा करें। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.07.2019 को जारी की गई।

दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	—	00		0	00
मीजान	7	00	मीजान	0	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

5.9.19

आवेदक की धारा 152 CPC स्वीकार किया, कृषि डिग्री की मद नं 2 में रकम नम्बर 552 के स्थान पर 522 पढ़ा जावे

Scanned by CamScanner